

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(रक्षा विभाग)
रक्षा (असैनिक-1)

विषय: स्टाफ – पक्ष, एनसी (जेसीएम) द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित विषमताओं को अग्रेषित करने हेतु और राष्ट्रीय विषमता समिति द्वारा उनके निवर्तन हेतु समय-सीमा विस्तार किए जाने--के संबंध में।

.....

उक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं. 11/2/2016-जेसीए दिनांक 05 जुलाई, 2017 और 17 जुलाई, 2017 जारी किए हैं। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित विषमताओं को प्राप्त करने और निवर्तन दोनों के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया गया है।

2. डीओपी एण्ड टी द्वारा किए गए उपरोक्त आशोधन के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया गया है कि विषमताओं की प्राप्ति और निपटान हेतु समय-सीमा इस विभाग के दिनांक 06 अक्तूबर, 2016 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन के आंशिक आशोधन को कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 में जैसा वर्णित किया गया है, को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

- i) विषमताओं की प्राप्ति हेतु समय-सीमा को 05.10.2017 तक विस्तारित किया गया है। (अर्थात् विषमताओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि)।
 - ii) विषमताओं के निपटान हेतु समय-सीमा को 05.04.2018 तक विस्तारित किया गया है।
3. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 08.10.2016 और 14.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन की शेष विषय-वस्तु में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हस्ता/-

(अनिल कुमार)

भारत सरकार में उप-सचिव
और सदस्य सचिव, विभागीय विषमता समिति,
दूरभाष सं.23011681

समिति के अध्यक्ष और सदस्य (संलग्न सूचि के अनुसार)

रक्षा मंत्रालय आईडी.सं. 17(01)/2016-रक्षा(असैनिक-I) दिनांक 08.08.2017

प्रतिलिपि:-

1. कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए) के महासचिव
2. रक्षा (आईटी) से रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग की वेबसाईट में कर्मचारी कार्नर में 7वां केन्द्रीय वेतन आयोग लिंक पर इस आईडी नोट को अपलोड कराने के आग्रह के साथ--सभी संबंधितों के सूचनार्थ

सदस्यों की सूची

श्री बरूण मित्रा अपर सचिव (बी एम)	अध्यक्ष रक्षा असैनिकों के स्थापना मामलों से संबंधित
डा. एम सुब्बारायण संयुक्त सचिव (ई) रक्षा विभाग	संबंधित विभागों के सरकारी पक्ष के सदस्य
श्री संजय प्रसाद संयुक्त सचिव (एलएस) रक्षा उत्पादन विभाग	
श्री एमएच रहमान उप सचिव और मुख्य नियंत्रक (अनु. और विकास) मानव संसाधन	
श्री आर.के. कर्णा अपर वित्तीय सलाहकार (आरके), रक्षा मंत्रालय (वित्त)	वित्त विभाग के सरकारी सदस्य
श्री एल.एच रोलंगुल उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा (वित्त / एजी)	पेंशन से संबंधित विषयों हेतु सरकारी सदस्य
उप सचिव (पेंशन / नीति) उप वित्तीय सलाहकार (पेंशन)	
सेना मुख्यालय / डीडीजी (सीपी), नौसेना मुख्यालय / डीडीसीपी वायु मुख्यालय / जेडीपीसी सीजीएचक्यू / डीआईजी (प्रशासन)	प्रत्येक सेना मुख्यालय से सह-चयनित सदस्य
एआईडीईएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए (प्रत्येक से 02 प्रतिनिधि)	स्टाफ पक्ष सदस्य
श्री अनिल कुमार, उप सचिव (सीपी), रक्षा विभाग	सदस्य – सचिव,